**न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, प्रतापगढ, राज.**

पीठासीन अधिकारी : सुरेशचन्द बंसल
R.J.S. (D.J. Cadre)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या : 79/2026
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 191/2025 थाना पारसोला )

धोलाराम पुत्र श्री बीराराम, उम्र-27 वर्ष, निवासी-गुन्दाव,
थाना-करडा, जिला-जालोर, राज.

---- प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान राज्य ---- विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित

01. श्री सुरेन्द्र सिंह आंजना, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
02. श्री दिनेश खड़िया, विशिष्ठ लोक अभियोजक ।

**आ दे श** **दिनांक 20.06.2026**

1. प्रार्थी धोलाराम की ओर से प्रकरण में जब्त मोबाईल Vivo V -60 IMEI No 860668084797094, 860668084797086 को सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने हेतु यह आवेदन अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.12.2025 को थानाधिकारी पारसोला श्री भेमजी गरासिया मय जाब्ता व अनुसंधान सामग्री नाकाबन्दी हेतु सेवा नगर रोड़ पर कर्णेश्वर महादेव के वहां समय 10.40 एएम पर पहुंचे जहां बरगद के पेड़ के नीचे एक स्वीफ्ट कार खड़ी नजर आई तथा कार के पास दो व्यक्ति खड़े दिखायी दिये । जिनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा तो दोनो घबरा गये तथा बताया कि गाड़ी खराब हो गयी है, जिसे सही करने के लिए संजय दर्जी आ रहा है । सन्देह होने पर दोनों व्यक्तियो से नाम–पता पूछा तो ड्राईवर साईड में खड़े व्यक्ति ने अपना नाम मोहनलाल व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम धोलाराम होना बताया । थानाधिकारी के द्वारा शंका के अधीन मोहनलाल एवं धोलाराम की कब्जाधीन कार नं. एमएच 01 वीए 9417 की तलाशी ली तो कार में भरे तीन कट्टो से

कुल 45 किलो 420 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ । मौके पर कार्यवाही की जाकर प्रार्थी धोलाराम एवं संजय को गिरफ्तार किया गया एवं प्रार्थी के पास से मिले प्रश्नगत मोबाईल को वजह सबूत जब्त किया गया, जिसे सुपुर्दगी पर प्राप्त किए जाने हेतु प्रार्थी संजय की ओर से यह आवेदन पेश किया गया है ।

3. प्रार्थी की ओर से कथित किया गया कि प्रकरण में जब्त प्रश्नगत मोबाईल प्रार्थी का खरीदशुदा है तथा उसी के कब्जे से जब्त हुआ है । अनुसंधान में मोबाईल की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी को अपने दैनिक कार्यो में मोबाईल की आवश्यकता रहती है। अतः प्रश्नगत मोबाईल प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र का औपचारिक विरोध किया व प्रश्नगत मोबाईल की प्रकरण में आवश्यकता नहीं होना जाहिर किया ।

4. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। प्रश्नगत मोबाईल प्रार्थी का खरीदशुदा है, जिसे क्रय करने का बिल प्रार्थी की ओर से पेश किया गया है। मोबाईल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया गया है । मोबाईल एक इलेक्ट्रोनिक आईटम है, जिसके थाने में बिना उपयोग के पड़े रहने से खराब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मोबाईल में ऐसी कोई सूचना अन्वेषण अधिकारी ने नहीं पायी है, जिसका उपयोग विचारण में आवश्यक हो । अतः उचित शर्ते अधिरोपित करते हुए प्रश्नगत मोबाईल प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. परिणामतः प्रार्थी धोलाराम की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी की ओर से रूपये पच्चीस हजार का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा इस न्यायालय के संतोषानुसार निम्न शर्तो सहित प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जावें किः-

01. प्रार्थी मोबाईल को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण के अंतिम निर्णय तक विक्रय, रहनबय, बक्षीश नहीं करेगा व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित हस्तान्तरित नहीं करेगा व मोबाईल के स्वरुप में किसी प्रकार का परिवर्धन-परिवर्तन नहीं करेगा ।

02. प्रार्थी मोबाईल को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के खर्चे पर थानाधिकारी/ अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में मोबाईल के चारों ओर के रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाएगा, जो अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी एक माह की अवधि में न्यायालय के समक्ष पेश करेंगें ।

03. न्यायालय द्वारा मोबाईल को तलब किये जाने पर स्वयं के खर्चे पर

मोबाईल को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा तथा प्रकरण के अन्तिम निर्णय में मोबाईल के सम्बन्ध में पारित आदेश की पालना करेगा ।

04. प्रार्थी दौराने साक्ष्य मोबाईल की पहचान बाबत आपत्ति नहीं करेगा ।

05. प्रार्थी मोबाईल का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को उक्त मोबाईल आपराधिक गतिविधियो में उपयोग बाबत देगा ।

06. प्रार्थी मोबाईल की सीडीआर, कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन आदि के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करेगा ।

तो प्रकरण में जब्त मोबाईल Vivo V -60 IMEI No 860668084797094, 860668084797086 प्रार्थी धोलाराम को अन्तरिम तौर पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

(सुरेशचन्द बंसल)

6. आदेश आज दिनांक 20.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशचन्द बंसल)

DEEPAK SINGH CHAUHAN
Digitally signed by DEEPAK SINGH CHAUHAN
Date: 2026.07.27 16:10:01 +0530